



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/8	<p>25 पत्रावली फैंसल हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनु। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई मौजिल नहीं है क्योंकि मूलवाय खारिज किमा जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किमा जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर याखिल यम्तर हो।</p>	
	<p>पुनः इतना लिखने के बाये पत्रावली का अवलोकन किमा गया। अवलोकन पश्चात् पाया गया कि <u>वस्तुगत</u> प्रकरण</p>	<p> उपलब्ध अधिकारी जोधपुर (उत्तर)</p>
17/3/26	<p>पत्रावली न्यायालय टाजा के प्रकरण सं. 10/2026 की आदेशिका अनुसार पुनः <u>Restored</u> की गई। पत्रावली पुनः नम्बर पर ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किमा गया। न्यायालय आदेशिका दिनांक 15/7/21 के बाये आज दिनांक अप्राथीगण द्वारा इसका विरोध नहीं किमा गया और ना ही पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः मूलवाय के अंतिम निस्तारण तक आदेशिका दिनांक 15/7/21 को जारी रखा जावे। अतः दोनों पक्ष प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण वायवस्तु खसरात की माँके एवं रेकड की मथास्मिति बनाएं रखेंगे। उभयपक्षकारात् को अस्माई निषेधात्ता से ता. फैंसल। मूलवाय पाबंद किमा जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर एक से कम होकर तर्फी मूलवाय हो।</p>	<p> उपलब्ध अधिकारी जोधपुर (उत्तर)</p>